महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-12/2021/769/86-2021-14(सा0)/2020

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 04 जून, 2021

विषयः-प्रदेश में जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास से COVID-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु परीक्षण, स्क्रीनिंग और उपकरणों की खरीद/स्थापना हेतु शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-731/86-2021-14(सा0)/2020 दिनांक 27.05.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खान मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 28.03.2020 के निर्देशानुक्रम में कोविड-19 के आगामी संभावित संक्रमण की स्थिति में उक्त के उपचार की तैयारी स्वरूप जनपदों में वित्तीय वर्ष 2020-21 (31.03.2021 तक) डी0एम0एफ0 मद में जमा धनराशि के अधिकतम 30 प्रतिशत की धनराशि का व्यय आक्सीजन प्लाण्ट की स्थापना के साथ-साथ अस्पतालों की आक्सीजन पाइप लाइन से सम्बन्धित मरम्मत आदि के कार्य तथा अन्य आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों पर किये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उक्तानुक्रम में स्पष्ट करना है कि कोविड-19 के आगामी संभावित संक्रमण की स्थिति में उक्त के उपचार की तैयारी स्वरूप जनपदों में वित्तीय वर्ष 2020-21 (31.03.2021 तक) डी0एम0एफ0 मद में जमा धनराशि के अधिकतम 30 प्रतिशत की धनराशि का व्यय निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जायेगाः-

1. आक्सीजन प्लाण्ट की स्थापना।
2. अस्पतालों की आक्सीजन पाइप लाइन से सम्बन्धित कार्य।
3. नवीन चिकित्सालय भवनों का निर्माण।
4. जनपद के राजकीय चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में जीवन रक्षक उपकरणों यथा- BiPap इत्यादि का क्रय, अन्य स्रोतों से धनराशि उपलब्ध न होने की स्थिति में, किया जाय।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कार्यों के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,
(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्या- (1)/86-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त।
7- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
8- समस्त ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड बुक

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in